न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 43 / 2024
अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र पुराराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर

सायल

बनाम्

1. प्रेमकुमार पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार अधिवक्ता सायल
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 30/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 24 / 20 कि कुल 1.4290हैक्ट भूमि का सायल खातेदार कातश्कार है।

रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 29 / 22 की कुल 1.8470हैक्ट भूमि का गैरसायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल को रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 24 / 20 की कुल 1.4290हैक्ट भूमि में आवागमन करने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है जिससे सायल को अपनी खातेदारी भूमि को काश्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पडता है।

सायल व गैरसायल एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायल अपने गांव थालडका से चल कर थालडका से भुरानपुरा मार्ग से होते होकर स्वीकृतशुद्वा रस्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 1 की भूमि रोही मौजा चक 17 आरडब्लयूडी के खाता संख्या 29 / 22 के प0न0 226 / 396 के किला न0 4 की दक्षिण की 0.2530हैक्ट में मिन दक्षिण की 0.013हैक्ट व किला न0 5 की 0.2530हैक में से मिन दक्षिण पश्चिम कोना की 0.001हैक्ट भूमि में से होते हुए अपने खेत रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 24 / 20 के प0न0 226 / 394 के किला न0 6 में प्रवेश करता है जिसमें सायल की ढाणी बनी हुई है यह रास्ता सदामत से चालू है जो नजदीकी व सुविधाजनक है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है यही रास्ता सायल के लिये सुविधाजनक एवं नजदीकी रास्ता है। सायल रास्ते के बदले में भूमि या मुआवजा राशि देने के लिये तेयार है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 226 / 394 के किला न0 4 में मिन दक्षिण की 0.013हैक्ट व किला न0 5 में मिन दक्षिण पश्चिम कौना की 0.001हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गैरसायल को जरिये सम्मन / नोटिस तलब किया गया गेरसायल संख्या 1 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई ;तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की उक्त खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल की खातेदारी भूमि में जाने के लिये रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 226 / 394 के किला न0 4 में मिन दक्षिण की 0.013हैक्ट व किला न0 5 में मिन दक्षिण पश्चिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कौना की 0.001हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत फरमावे जो सायल के लिये उपयुक्त एवं सुविधाजनक रास्ता है यही रास्ता से आवागमन करता है अन्य रास्ता प्रार्थी स्वीकार करवाने का अधिकारी नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार

रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 24/20 कि कुल 1.4290हैक्ट भूमि का सायल खातेदार कातश्कार है।रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 29/22 की कुल 1.8470हैक्ट भूमि का गैरसायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल का कथन है कि सायल का उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है तथा सायल का कथन है कि सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये चाहा गया रास्ता उपयुक्त एवं सुविधाजनक हे जिसे स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे सायल का कथन उचित प्रतित होता है सायल ने स्वीकृत शुद्वा रास्ता से अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता चाहा गया है जिसका प्रतिरोध भी पेश नही हुआ है गैरसायल न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण गैरसायल की मौन स्वीकृति मानी जा सकती है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार रोही मोजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 226/394 (6) के किला न0 1 ता 3 मे स्वीकृतशुद्वा रास्ता है किला न0 4 ,5 गैरसायल की भूमि है तथा किला न0 6 सायल की भूमि है सायल गैरसायल संख्या 1 की भूमि के किला न0 4 में एक विश्वा व किला न0 5 में एक कोना में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है।

तहसीलदार नोहर की मोका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार रोही मोजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 226/394(6) के किला न0 1 ता 3 तक स्वीकृत रास्ता है व किला न0 6 में सायल की भूमि है किला न0 1 ता 3 से किला न0 6 तक पहुचने के लिये सायल ने किला न0 4 में 0.013हैक्ट अर्थात एक विश्वा रास्ता एवं किला न0 5 में 0.001हैक्ट रास्ता चाहा है जो केवल एक कोना है जिससे होकर सायल अपने खेत किला न0 6 में प्रवेश कर सकता है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता विधिसम्मत है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 226/394 के किला न0 4 में मिन दक्षिण की 0.013हैक्ट व किला न0 5 में मिन दक्षिण पश्चिम कौना की 0.001हैक्ट भूमि में छोटा एवं लम्बाई में कम रास्ता उपलब्ध है जो सायल के लिये सुविधाजनक है।सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता न्यायसगंगत है।हॉ यह सही है कि किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार सबसे छोटा एवं मौका स्थिति अनुसार उपयुक्त है जिससे अन्य काश्तकारों के हित भी प्रभावित नही होते है जिसे सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र आशिंक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के प0न0 226/394 के किला न0 4 में मिन दक्षिण की 0.013हैक्ट व किला न0 5 में मिन दक्षिण पश्चिम कौना की 0.001हैक्ट भूमि में रास्ता रास्ता स्वीकृत किया जाता है रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल गैरसायलान को उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/12/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2024 / 1257 दिनांक 30/12/24

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 43 सन 2024 निर्णय दिनांक 30/12/2024

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र पुराराम जाति मेधवाल निवासी थालडका तहसील नोहर

सायल

बनाम्

1 प्रेमकुमार पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 43 / 2024 अनवानी देवीलाल बनाम प्रेमकुमार में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 17 आरडबल्यूडी के प0न0 226 / 394 के किला न0 4 में मिन दक्षिण की 0.013हैक्‍ व किला न0 5 में मिन दक्षिण पश्चिम कौना की 0.001हैक्‍ भूमि में रास्ता रास्ता स्वीकृत किया जाता है रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल गैरसायलान को उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:40:40 IST
Reason: SelfAttested